



कार्यालय आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन

मध्यप्रदेश, इंदगाह हिन्स भोपाल (म.प्र.) - 462001

दूरभाष: 0755.2665385.ईमेल: fdamp@rediffmail.com, fdampbhupal@gmail.com

क्र.03खाद्य/02/83/2026 | 6266

भोपाल दिनांक 08/10/2026

//आदेश//

विषय:- खाद्य पदार्थ पतंजलि Cow's Ghee Pack 200 ml. बैच नं. FAWB260017 को बाजार से वापस लिये जाने (Food Recall) के संबंध में।

जिला छिन्दवाड़ा में दिनांक 10.08.2026 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मेमर्स फर्म- अनिल किराना, देलाखारी तहसील तामिया जिला छिन्दवाड़ा से खाद्य पदार्थ पतंजलि Cow's Ghee Pack 200 ml. का नमूना लिया गया था:-

क्र.	खाद्य पदार्थ	बैच/लॉट	निर्माण तिथि	अवसान तिथि	विश्लेषण रिपोर्ट
1.	पतंजलि Cow's Ghee Pack 200 ml.	FAWB260017	अप्रैल 2026	दिसम्बर 2026	Cali lab pvt. Ltd. Bhopal report- R.No.R0988/2026(10988/10/09/2026) Date- 21.09.2026

उक्त नमूना, खाद्य विश्लेषक Cali lab pvt. Ltd. Bhopal के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3 (1) (zz) के अंतर्गत असुरक्षित घोषित किया गया है।

2. Food Recall की आवश्यकता

खाद्य सुरक्षा एवं मानक (Food Recall Procedure) Regulations, 2017 के Regulation 4 के अनुसार ये विनियम ऐसे खाद्य अथवा खाद्य उत्पादों पर लागू होते हैं जिन्हें Unsafe अथवा Prima Facie Unsafe निर्धारित किया गया हो।

Regulation 5 (3) के अनुसार Chief Executive Officer, FSSAI अथवा संबंधित State/UT के Commissioner of Food Safety खाद्य कारोबारकर्ता को Food Recall प्रक्रिया आरंभ करने का निर्देश दे सकते हैं।

FSSAI द्वारा दिनांक 18.06.2024 को जारी निर्देश में भी यह स्पष्ट किया गया है कि Primary Laboratory Report में food unsafe पाये जाने तथा Section 46 (4) के अंतर्गत appeal न किये जाने की स्थिति में, sale prohibition के उपरांत संबंधित food को recall किया जाना है तथा संबंधित DO/CLA द्वारा Regulation 5 (3) के अंतर्गत CEO, FSSAI अथवा संबंधित Commissioner of Food Safety को recall के निर्देश हेतु अनुशंसा की जानी है।

अतः जनस्वास्थ्य की सुरक्षा एवं unsafe food को food chain से हटाने के उद्देश्य से उक्त खाद्य पदार्थ batch का Food Recall किया जाना आवश्यक है।

3. निर्देश

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 18 (1) (g) एवं धारा 28 तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक (Food Recall Procedure) Regulations, 2017 के Regulation 5(3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है:-

- (a) मेमर्स फर्म- अनिल किराना, देलाखारी तहसील तामिया जिला छिन्दवाडा मध्यप्रदेश खाद्य पदार्थ पतंजलि Cow's Ghee Pack Batch No. FAWB260017 की बिक्री/वितरण/आपूर्ति बंद करेंगे।
- (b) उक्त Batch का बाजार, distributor, wholesaler, retailer अथवा अन्य food chain में उपलब्ध समस्त stock तत्काल identify कर Food Recall किया जाए।
- (c) Recall के अंतर्गत आने वाले खाद्य पदार्थों को अन्य खाद्य पदार्थों से पृथक रखकर स्पष्ट रूप से "FOOD RECALL - NOT FOR SALE" के रूप में चिह्नित किया जाए तथा उनका आगे विक्रय अथवा वितरण न किया जाए।
- (d) निर्माता Patanjali Foods Ltd. Gate No. 5/1, 5/2, 5/3 Ahmadnagar Aurangabad Road Khadka fata Newasa Ahmadnagar Maharashtra Pin.- 414603 द्वारा उक्त batch की traceability सुनिश्चित करते हुए सभी distributors, wholesalers, retailers एवं अन्य संबंधित food business operators को तत्काल recall communication जारी किया जाए।
- (e) निर्माता /FBO द्वारा food chain में संबंधित FBOs तथा आवश्यकतानुसार प्रभावित consumers को लिखित सूचना, ई-मेल, दूरभाष, electronic media अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से दी जाए तथा प्रत्येक communication का documentary record सुरक्षित रखा जाए।
- (f) निर्माता /FBO द्वारा कुल निर्मित मात्रा, वितरित मात्रा, बाजार में उपलब्ध मात्रा, वापस प्राप्त मात्रा तथा disposed/destroyed/reprocessed मात्रा का batch-wise reconciliation तैयार किया जाए।
- (g) वापस प्राप्त खाद्य पदार्थ को बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के पुनः बाजार में नहीं भेजा जाएगा तथा उसका destruction/disposal/reprocessing, जैसा लागू हो, सक्षम प्राधिकारी के निर्देशों एवं लागू प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

4. Recall Plan एवं सूचना प्रस्तुत करने के संबंध में-

खाद्य सुरक्षा एवं मानक (Food Recall Procedure) Regulations, 2017 के Regulation 6 के अनुसार FBO को food distribution records maintain करना तथा recall की आवश्यकता जात होने पर संबंधित Authority को आवश्यक information उपलब्ध कराना है। अतः संबंधित FBO निर्माता

द्वारा निम्न जानकारी तत्काल एवं अधिकतम 24 घंटे के भीतर संबंधित अभिहित अधिकारी/ प्राधिकृत अधिकारी को उपलब्ध कराई जाए:-

1. कुल निर्मित पैक की गई मात्रा ।
2. संबंधित batch/lot की कुल मात्रा ।
3. वितरित मात्रा एवं distribution chain का विवरण ।
4. जिन distributors/wholesalers/retailers को माल भेजा गया, उनकी सूची एवं पते।
5. बाजार से वापस प्राप्त मात्रा ।
6. अभी बाजार /warehouse/retailer/consumer के पास उपलब्ध अनुमानित मात्रा ।
7. Recall communication की प्रति ।
8. Recall के दौरान की गई कार्रवाई का विवरण ।
9. वापस प्राप्त खाद्य पदार्थ के सुरक्षित disposal/destroy/reprocess की कार्यवाही।
10. Recall की completion report एवं supporting documentary evidence ।

5. Recall Monitoring

- अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा प्रशासन, जिला छिन्दवाड़ा यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित FBO द्वारा Recall प्रक्रिया वास्तविक रूप से प्रारंभ की गई है।
- संबंधित batch/lot का stock विभिन्न स्तरों से वापस लिया जा रहा है तथा distribution chain की traceability की जांच की जाए।
- आवश्यकतानुसार संबंधित premises का inspection किया जाए तथा उपलब्ध recalled stock का सत्यापन किया जाए।
- Recall की प्रगति का periodic status प्राप्त कर अभिलेख में रखा जाए।
- Recall पूर्ण होने के उपरांत FBO से Final Food Recall Status/Completion Report प्राप्त की जाए तथा उसका सत्यापन किया जाए।

6. FosCos में Food Recall दर्ज करने के संबंध में-

FSSAI के दिनांक 18.03.2026 के आदेश के अनुसार enforcement authorities द्वारा initiated सभी नए Food Recalls को FoSCOS में संबंधित Designated Officer/Competent Authority के login से create किया जाना है तथा recall की subsequent actions भी FoSCOS में record की जानी है। अतः अभिहित अधिकारी, जिला छिन्दवाड़ा यह सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रकरण का Food Recall FoSCOS की Food Recall functionality में तत्काल दर्ज किया जाए तथा recall की प्रगति, कार्रवाई एवं completion status समय-समय पर update किया जाए।

7. अन्य वैधानिक कार्यवाही-

यह आदेश केवल Food Recall की कार्रवाई तक सीमित नहीं होगा। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006, उसके अंतर्गत बने नियमों एवं विनियमों के अनुसार unsafe food के संबंध में की जाने वाली अन्य वैधानिक /enforcement कार्रवाई, यदि कोई हो, तो वह अपने स्तर पर नियमानुसार जारी रहेगी।

8. उपरोक्त निर्देशों का तत्काल पालन किया जाना अनिवार्य होगा। संबंधित खाद्य कारोबारकर्ता/निर्माता द्वारा Recall प्रक्रिया में असहयोग, सूचना छिपाने, stock उपलब्ध होने के बावजूद बिक्री जारी रखने अथवा Recall प्रक्रिया का प्रभावी अनुपालन न करने की स्थिति में अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बने नियम विनियमों के अनुसार पृथक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

यह आदेश जनस्वास्थ्य की सुरक्षा तथा Unsafe Food को food chain से प्रभावी रूप से हटाने उद्देश्य से जारी किया जाता है।

(आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित)

Digitally signed by
Manoj Pushp
Date: 08-10-2026
17:58:47

नियंत्रक
खाद्य एवं औषधि प्रशासन
मध्यप्रदेश

भोपाल दिनांक 08/10/2026

क्र.03खाद्य/02/83/2026 | 6267

प्रतिनिधि:-

1. अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा प्रशासन, जिला छिन्दवाडा-आदेश के तत्काल अनुपालन एवं Food Recall की monitoring हेतु।
2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी, संबंधित क्षेत्र, जिला छिन्दवाडा-आवश्यक field verification enforcement action हेतु।
3. निर्माता Patanjali Foods Ltd. Gete No. 5/1, 5/2, 5/3 Ahmadnagar Aurangabad Road Khadka fata Newasa Ahmadnagar Maharashtra Pin.- 414603 batches/lots के तत्काल Food Recall एवं अनुपालन हेतु।
4. मेमर्स फर्म- अनिल किराना, देलाखारी तहसील तामिया जिला छिन्दवाडा मध्यप्रदेश खाद्य पदार्थ पतंजलि Cow's Ghee Pack Batch No. FAWB260017 तत्काल अनुपालन हेतु।
5. आयुक्त, खाद्य सुरक्षा संबंधित सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र- निर्माता इकाई के स्तर पर आवश्यक कार्रवाई एवं Recall की प्रभावी निगरानी हेतु।
6. संबंधित Designated Officer/ अधिकारी, महाराष्ट्र - निर्माता Patanjali Foods Ltd. के स्तर पर Recall एवं traceability सुनिश्चित करने हेतु।
7. FSSAI, Regulatory Compliance Division, नई दिल्ली - नियमानुसार सूचना हेतु।

नियंत्रक
खाद्य एवं औषधि प्रशासन
मध्यप्रदेश